



पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 08.04.2021

1-थाना बादलपुर पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद।

दिनांक 07.04.2021 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त महेश कुमार पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम दुजाना थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर को जिला बदर अपराधी वाद सख्या 05/20 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 के 06 माह के गौतमबुद्धनगर की सीमाओ से बहिष्काशन के आदेश का उल्लंघन करते हुए उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तंमचा मय एक जिन्दा कार0 315 बोर बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

महेश कुमार पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम दुजाना थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर ।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 93/21 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधि0 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 94/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 184/14 धारा 147,148,149,307 भादवि0 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 187/14 धारा 25 आयुध अधि0 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 188/14 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 13/15 धारा 147,148,149,302,307,386,34,120 भादवि0 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर
7. मु0अ0सं0 61/15 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर

8. मु0अ0सं0 82/19 धारा 110 जी द0प्र0सं0 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर

9. मु0अ0सं0 479/19 धारा 308 भादवि0 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

एक तंमचा 315 बोर व एक जिन्दा कार0 315 बोर



2-थाना फेस-3 पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल व 02 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 08.04.2021 को थाना फेस 3 पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर 1. आकाश पुत्र सूरज निवासी प्रीति विहार कालोनी ठेके वाली गली दादरी 2. सुनील कुमार यादव पुत्र नरेन्द्र यादव निवासी जे0जे0 कालोनी से0 62 थाना सेक्टर 58 नोएडा को सहारा कट सैक्टर 64 नोएडा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे चोरी की 01 मो0सा0 व 02 अवैध चाकू बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. आकाश पुत्र सूरज निवासी प्रीति विहार कालोनी ठेके वाली गली दादरी
2. सुनील कुमार यादव पुत्र नरेन्द्र यादव निवासी जे0जे0 कालोनी सेक्टर 62 थाना सेक्टर 58 नोएडा

आपराधिक इतिहास का विवरण-

अभि0 आकाश

- 1-मु0अ0सं0 286/2021 धारा 414 भादवि थाना फेस-3 नोएडा
- 2-मु0अ0सं0 287/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3 नोएडा
- 3-मु0अ0सं0 510/16 धारा 379/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

4-मु0अ0सं0 262/21 धारा 411/414 भादवि थाना फेस-3 नोएडा

5-मु0अ0सं0 350/20 धारा 380 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

6-मु0अ0सं0 366/20 धारा 380/457 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

7-मु0अ0सं0 556/20 धारा 4/25 आयुध अधि0 एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

अभि0 सुनील

1-मु0अ0सं0 286/2021 धारा 414 भादवि थाना फेस-3 नोएडा

2-मु0अ0सं0 288/2021 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना फेस-3 नोएडा

बरामदगी का विवरण-

1. एक मोटर साइकिल टीवीएस अपाचे रंग सफेद बिना नम्बर की

2. 02 अवैध चाकू



3- थाना बिसरख पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.04.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त अमरजीत पुत्र सेवाराम नि0 ग्राम म0नं0 127 शांति नगर छपरौला थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर को 6 प्रतिशत प्लाट के पास से गिरफ्तार किया गया है , जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 36/2021 धारा 147,148,149,302,307,504 भादवि 7 सीएल ए एक्ट थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

अमरजीत पुत्र सेवाराम नि० ग्राम म०नं० 127 शांति नगर छपरौला थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर ।

अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 36/2021 धारा 147,148,149,302,307,504 भादवि 7 सीएल ए एक्ट थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर



4- थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा धोखाधडी करके आम जनता से एटीएम कार्ड बदलकर उनके एटीएम से पैसे निकालने वाले गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से इंडियन ओवरसीज बैंक का डेबिट कार्ड, 171 विभिन्न बैंको के एटीएम, 8500 रूपये, एक कार आई-20 बरामद।

दिनांक 08.04.2021 को थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा धोखाधडी करके आम जनता से उनके एटीएम कार्ड बदलकर उनके एटीएम से पैसे निकालने वाले गिरोह के 03 सदस्य (1) शाहनवाज पुत्र श्री सज्जन अली निवासी - म०नं० 4929 शान्ति नगर थाना कृष्णा नगर दिल्ली 31 (2) सज्जन पुत्र श्री स्माइल निवासी - म०नं० 11 ब्लॉक ए गली नं० 05 कान्ती नगर थाना कृष्णानगर दिल्ली 31 (3) शादीन पुत्र श्री मोहम्मद यासीन निवासी म०नं० ए/87 गली नं० 01 थाना न्यू जाफराबाद दिल्ली 31 को सैक्टर 76 टी पाइंट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से इंडियन ओवरसीज बैंक का डेबिट कार्ड, 171 विभिन्न बैंको के एटीएम, 8500- रूपये 500-500 के 17 नोट, एक कार आई-20 बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- (1) शाहनवाज पुत्र श्री सज्जन अली निवासी - म०नं० 4929 शान्ति नगर थाना कृष्णा नगर दिल्ली 31
- (2) सज्जन पुत्र श्री स्माइल निवासी - म०नं० 11 ब्लॉक ए गली नं० 05 कान्ती नगर थाना कृष्णानगर दिल्ली

(3) शादीन पुत्र श्री मोहम्मद यासीन निवासी म0नं0 ए/87 गली नं0 01 थाना न्यू जाफराबाद दिल्ली 31

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 0161/2021 धारा 420 भादवि0 बनाम शाहनवाज, सज्जन व शादीन थाना सैक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. इंडियन ओवरसीज बैंक का डेबिट कार्ड,
2. 171 विभिन्न बैंको के एटीएम,
3. 8500- रूपये,
4. एक कार आई-20



5- थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.04.2021 को थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त कुलदीप पुत्र मोंगेलाल नि0 ग्राम सराय मीठे थाना बकेवर जिला इटावा वर्तमान निवासी ग्राम मोरना सेक्टर 35 नोएडा

को सी.एन.जी. पम्प के पास सेक्टर 35 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त मु0अ0स0 213/21 धारा 363/366 भादवि में वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कुलदीप पुत्र मोंगेलाल नि0 ग्राम सराय मीठे थाना बकेवर जिला इटावा वर्तमान निवासी ग्राम मोरना सेक्टर 35 नोएडा।

अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0स0 213/21 धारा 363/366 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा

6- थाना फेस 2 पुलिस द्वारा इण्डिया मार्ट जैसी कम्पनियो के नाम से लोगो को फोन कर धोखाधडी करने के उद्देश्य से मेडिकल उपकरण व हेल्थ केयर के सामान बेचने के नाम पर उनसे मोटी रकम अपने फर्जी बैंक अकाउन्ट में ट्रांसफर कराकर ठगी करने वाले गिरोह के तीन अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 09 मोबाइल फोन , 22 आधार कार्ड, 27 पैन कार्डों की छायाप्रतियां , ठगी की रकम के 02 लाख 600 रुपये नकद एवं एक फर्जी नम्बर प्लेट लगी स्कूटी बरामद।

दिनांक 07.04.2021 को थाना फेस 2 पुलिस द्वारा धोखाधडी करने वाले 03 अभियुक्त 1. धर्म चौधरी उर्फ ललित उर्फ रंगा पुत्र चेताराम नि0 ग्राम मौरोली शीशवाड़ा थाना डींगजिला भरतपुर राजस्थान हाल पता म0नं0 44 सेन्ट्रल बैंक के पास बदरपुर दिल्ली 2. अब्दुल समद पुत्र मौ0 रिजवान नि0 ग्राम तिगड़ी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 3. अजय चौहान पुत्र रमेश चौहान नि0 सदरपुर कालौनी सै0 45 नियर केनरा बैंक थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर को टीसीएस तिराहा बैरियर के पास सडक पुस्ता फेस 2 के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 09 मोबाइल फोन , 22 आधार कार्डों की छायाप्रतियां , 27 पैन कार्डों की छायाप्रतियां , 02 लाख 600 रुपये नकदी एवं एक फर्जी नम्बर प्लेट लगी स्कूटी नं0 एचआर 51 सीसी 1114 बरामद किया की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. धर्म चौधरी उर्फ ललित उर्फ रंगा पुत्र चेताराम नि0 ग्राम मौरोली शीशवाड़ा थाना डींगजिला भरतपुर राजस्थान हाल पता म0नं0 44 सेन्ट्रल बैंक के पास बदरपुर दिल्ली
2. अब्दुल समद पुत्र मौ0 रिजवान नि0 ग्राम तिगड़ी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. अजय चौहान पुत्र रमेश चौहान नि0 सदरपुर कालौनी सै0 45 नियर केनरा बैंक थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 172/21 धारा 420,468,471,34,406 भादवि थाना फेस 2 नोएडा
2. मु0अ0सं0 173/21 धारा 411 भादवि थाना फेस 2 नोएडा
3. मु0अ0सं0 174/21 धारा 420,468,471 भादवि थाना फेस 2 नोएडा

बरामदगी का विवरण-

1. 09 मोबाइल फोन,
2. 22 आधार कार्डों की छायाप्रतियां,
3. 27 पैस कार्डों की छायाप्रतियां,
4. 02 लाख 600 रुपये नकदी
5. एक फर्जी नम्बर प्लेट लगी स्कूटी नं0 एचआर 51 सीसी 1114



#जनपद गौतमबुद्धनगर में कमिश्ररेट प्रणाली लागू होने के उपरान्त आज दिनांक 08.04.2021 को विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री उ0प्र0 के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर/माफियाओं एवं आपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14(1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से अर्जित चल एवं अचल सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

थाना बिसरख पुलिस द्वारा शाहबेरी प्रकरण में धारा 14(1) गैंगस्टर अधि० के अन्तर्गत अभियुक्त 1. रोहित पुत्र विजयपाल 2. हरीश पुत्र भुलेराम 3. विकास चौधरी पुत्र धीरेन्द्र चौधरी निवासीगण चिपियाना बुजुर्ग थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर की अचल सम्पत्ति को जब्तीकरण हेतु सुसंगठित गिरोह द्वारा मैसर्स सत्यम रियल बिल्डर्स प्रा०लिमि० के नाम से भवन निर्माण कम्पनी बनवायी गयी थी जिनके द्वारा ग्राम शाहबेरी के खसरा सं० 46 की कृषि उपयोगी भूमि पर बिना भूमि का उपयोग परिवर्तन आदेश प्राप्त किये बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी ले आऊट प्लान के बिना किसी सहायक आवास आवश्यकताएँ विकसित किये बिना निर्माण सामग्री की किसी गुणवत्ता प्रमाण पत्र के अधोमानक बहुमंजिला भवनो एवं फ्लैटों का निर्माण कर लिया गया था। इन फ्लैटो को भोली भाली जनता को धोखाधडी करके विक्रय कर संगठित रूप से अपराध कारित कर भौतिक एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी है। मा० न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना बिसरख पर पंजीकृत अभियोग 841/2019 धारा 188,288,420,467,468,471 भादवि व 7 सीएल ए एक्ट व मु०अ०स० 948/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिसरख के अभियुक्तों की कम्पनी सत्यम रियल बिल्डर्स प्रा० लिमि० के नाम पंजीकृत 56 फ्लैट जिनकी कुल कीमत 22,40,00,000 रूपये (22 करोड 40 लाख रूपये) अनुमानित को जब्त किया गया है।

पूर्व से लेकर अभी तक गैंगस्टर/माफियाओं पर कार्यवाही के दौरान लगभग 130 करोड की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है।

कमिश्नर प्रणाली के अन्तर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा भविष्य में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं के विरुद्ध सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही जारी रहेगी।

#जनपद में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा। इसी के क्रम में आज बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले 3364 व्यक्तियों का चालान कार्यवाही करते हुए 3,36,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

1685 वाहनों का चालान करते हुए कुल 1,99,900 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 27 वाहनों को सीज भी किया गया। 70 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 30 अभियोग पंजीकृत किये गये।